जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 45 संख्याः 286 प्रभात बीकानेर, बुधवार 8 मई, 2024 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

जयपुर के मालवीय नगर इण्डस्ट्रियल एरिया एवं उसके पास के रिहायशी इलाके में मंगलवार सुबह आठ बजे एक लैपर्ड घूमते हुए देखा गया। इस बात की भनक लगते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लैपर्ड ने हमला करके एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर को तथा झालाना सफारी में कार्यरत जीप चालक को घायल कर दिया। लैपर्ड दिन में अधिकतर समय तक बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलजी परिसर में इधर-उधर भागता रहा, उसके बाद वहाँ से निकलकर एक घर में जाकर छुप गया, करीब एक घंटे तक घर में ही छुपा रहा। वन विभाग की टीम ने घर में छुपे लैपर्ड को ट्रैंकुलाइज़ करने का काम शुरु किया लेकिन एक शूट मिस हो जाने के बाद उसने भागकर एक फैक्ट्री कर्मचारी पर हमला कर दिया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने लैपर्ड को ट्रैंकुलाइज़ करके पिंजरे में कैद कर लिया। फिर वन विभाग ने लैपर्ड को पुनः वन क्षेत्र में छोड़ने की कवायद में शुरु की।

पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टाधारकों को बिजली कनैक्शन देने पर हाईकोर्ट की मुहर

अदालत ने अपने आदेश में जे.वी.वी.एन.एल. पर सभी तरह के अदालती आदेशों की बंदिश हटाते हुए कहा कि, वे उक्त क्षेत्र में नये बिजली कनैक्शन देना जारी कर सकते हैं

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 7 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पृथ्वीराज नगर (पी.आर.एन.) योजना की करीब 214 गैर अनुमोदित कॉलोनियों के करीब 17,500 भूखंड स्वामियों, जिनके पास सोसायटी पट्टे हैं, को उनके मकानों पर बिजली कनेक्शन मुहैया कराने की मंजूरी दी है। वहीं खंडपीठ ने हाईकोर्ट के 5 जुलाई 2013 के आदेश के तहत पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टा धारक भूस्वामियों के मकानों को बिजली कनैक्शन देने पर लगाई गई रोक को भी हटा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के गत 11 नवंबर के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें अपीलार्थियों को बिजली कनैक्शन देने से मना करते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। जस्टिस पंकज भंडारी व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश शकुंतला शर्मा व अन्य की अपील याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **अदालत ने कहा कि, 2013 का आदेश लोगों को अपने मूल अधिकार से वंचित कर रहा है, और पिछले वर्ष याचिकाकर्ताओं के मामले को रद्द करना भी कानूनी त्रुटि थी।**

अदालत ने कहा कि एकलपीठ का पी.आर.एन. में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनैक्शन देने पर रोक लगाने का 2013 का आदेश बिजली अधिनियम 2003 की धारा 43 के प्रावधानों के खिलाफ है। अपील याचिकाओं में एकलपीठ के 11 नवंबर 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अवैध कब्जाधारकों की श्रेणी में मानकर उन्हें बिजली कनैक्शन देने से मना कर दिया था। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोसायटी पट्टों के जरिए पी.आर.एन. में जमीन खरीद कर मकान बनाए थे। शर्मा ने कहा कि बिजली अधिनियम की धारा 43 के तहत उनके मुवक्किल कब्जाधारियों की परिभाषा में आते हैं और उन्हें अधिनियम की श्रेणी में बिजली कनैक्शन मुहैया कराना विभाग का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार बिजली कनैक्शन को एक मौलिक अधिकार बता चुका है।

इसी संदर्भ में पूर्व आई.ए.एस. अफसर, ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ और अधिवक्ता पी.एन.भंडारी ने अदालत को कहा कि क्योंकि बिजली कनैक्शन एक मूल सुविधा व अधिकार है, विभाग किसी भी आवेदक को इस सुविधा से वंचित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जहां तक अतिक्रमण का मुद्दा है, बिजली विभाग ना तो जांच करने का अधिकार व संसाधन रखता है कि बिजली आवेदक अवैध कब्जाधारी है या मूल कब्जाधारी है। उन्होंने कहा कि बिजली कनैक्शन से किसी भी भूखंड का स्वामित्व भी तय नहीं किया जा सकता, इसलिये अदालत को 2013 में दिये गये हाईकोर्ट के ही एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए कनैक्शन की अनुमति दे देनी चाहिये। उन्होंने अदालत को कहा कि अदालती आदेश की वजह से पी.आर.एन. क्षेत्र में बिजली की भारी चोरी हो रही है और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जे.वी.वी.एन.एल.) को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी याचिकाकर्ताओं का विरोध नहीं किया और कहा कि राज्य सरकार पहले ही इस संदर्भ में कनैक्शन देने का फैसला ले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की थोड़ी सी लाज बचा दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने 26,000 टीचर्स की नियुक्ति को रद्द कर दिया था, पर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर ''स्टे'' दे दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 मई। आम चुनावों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के प.बंगाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, इससे पीड़ित शिक्षकों को भारी राहत मिली। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार बहुत कठोर टिप्पणियां की।

सुप्रीम कोर्ट के इस बहुआयामी फैसलों का सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करते हुए अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी पर कोर्ट ने कलकत्ता की हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों को बहाल रखा जो उसने नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला सुनाते समय की थी, कि भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमिताएं हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भर्ती प्रक्रिया के अनियमितता और रिश्वत के आरोपों की जांच, जो सी.बी.आई. कर रही है जारी रहनी चाहिए।

- **सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी आलोचना की राज्य सरकार की, स्कूल टीचर्स के चयन व नियुक्ति में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाये।**
- **तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लाभ लेने का प्रयास किया, यह कहकर कि, भाजपा ने 26,000 टीचर्स की नियुक्ति रद्द करवायी थी, जो अब तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से ''स्टे'' प्राप्त करके फिलहाल बहाल करवायी है।**

सर्वोच्च न्यायालय ने अपूर्ण योग्यता धारक प्रत्याशियों की नियुक्ति के लिए नए पद सृजित करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। इस घोटाले में शामिल होने के कारण तृणमूल कांग्रेस के कई उच्च स्तरीय नेता और मंत्री जेल में है।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्कूल भर्ती आयोग से भर्ती की नई प्रक्रिया शुरु करने को कहा है। अगर ऐसा होता है तो पता नहीं वर्तमान शिक्षकों का क्या होगा?

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अनियमितताओं के जांच के आदेश के बाद भारी भ्रष्टाचार सामने आया। कम नम्बर पाने वाले छात्रों को नौकरियां मिल गई हैं। सबूत मिटाने के लिए सरकार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड, कागजात नष्ट कर दिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन शिक्षकों को राहत मिली है जिनकी नौकरी हाईकोर्ट के आदेश से चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न की जाए पर उन्हें अब नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया का सामना करना होगा।

इस फैसले से तृणमूल कांग्रेस को भी राहत मिली है क्योंकि शिक्षकों की भर्ती रद्द होने की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। भर्ती में भारी भ्रष्टाचार और सी.बी.आई. जांच से तृणमूल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं।

दूसरी और 26 हजार शिक्षकों की नौकरी जाने के लिए भी भाजपा के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि इन शिक्षकों की नौकरी भाजपा के कारण गई है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार में भारी भ्रष्टाचार है और हैरानी जताई कि क्या होगा अगर जनता का सरकार से भरोसा उठ जाए तो।

सोनिया गांधी का वीडियो जारी किया कांग्रेस ने

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 मई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कड़ी आलोचना की और उन पर राजनैतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि, इंडिया ब्लॉक देश के संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए कृत संकल्प है।

- **सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर राजनैतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की।**

कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित इस दुर्लभ वीडियो में सोनिया गाँधी ने नागरिकों से बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरियाणा में भाजपा को भारी झटका

भाजपा सरकार अल्पमत में आयी, 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने से

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 मई। लोकसभा चुनावों के प्रचार के बीच हरियाणा से परेशान करने वाली खबर आयी है। राज्य की नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से तीन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है।

दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने पहले ही समर्थन वापस ले लिया था। सैनी की सरकार अब अल्पमत में आ गयी है क्योंकि विधानसभा के 88 सदस्यों में से भाजपा के 40 सदस्य ही हैं। बड़ी परेशानी की बात यह है कि, इस अकस्मात् घटनाक्रम के कारण, भगवा पार्टी की एन.डी.ए. के लिए 400 सीटें और स्वयं के लिए 370 सीटें जीतने की आकांक्षाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है।

हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए मई 2024 में मतदान होना है। गत 2019 के चुनावों में भाजपा ने दस में से दस सीटें जीती थीं। यद्यपि, इस बार किसानों के आंदोलन और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने जैसे मुद्दों के कारण कांग्रेस बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर रही है।

- **85 सदस्यीय विधानसभा में अब भाजपा को केवल चालीस विधायकों का समर्थन प्राप्त है क्योंकि, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, जे.जे.पी. पहले ही भाजपा सरकार का साथ छोड़कर सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है।**
- **इस समर्थन वापस लेने की घटना के बाद, भाजपा की मुश्किलें वर्तमान लोकसभा चुनाव में और बढ़ गयी हैं, क्योंकि इन निर्दलीय विधायकों ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का इरादा जताया है, इससे भाजपा के लिए 10 में से दस संसदीय सीटों पर जीतने का पुराना इतिहास दोहराना मुश्किल लगता है।**

कांग्रेस के नेता, इस घटनाक्रम के कारण जाहिर तौर पर काफी उत्साहित हैं क्योंकि तीन निर्दलीय विधायकों, सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने वर्तमान चुनावों में कांग्रेस को समर्थन देने के निर्णय की घोषणा की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रमुख उदय भान की उपस्थिति में एक प्रेसवार्ता में बोलते हुए इन विधायकों ने कहा, किसानों के लिए भाजपा की इन भेदभावपूर्ण नीतियों सहित कई कारकों के कारण उन्होंने यह निर्णय लिया है।

भान ने सैनी की सरकार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तीसरे चरण में 61.57 फीसदी वोटिंग

नई दिल्ली 7 मई (वार्ता)। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को 11 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेश दादर-नगर हवेली और दमन एवं दीव की 93 सीटों पर कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से हुये मतदान में 61.57 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

- **असम में सबसे अधिक 75.30 प्रतिशत वोटिंग हुई तथा 74.32 प्रतिशत वोटिंग के साथ गोवा दूसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा प. बंगाल में भी भारी वोटिंग देखने को मिली है।**

मतदान के अंतिम आंकड़े इससे अधिक हो सकते हैं, हालांकि, वोटिंग प्रतिशत पहले और दूसरे चरण के मुकाबले कम है। कई इलाकों में तेज और गर्मी के के बीच मतदान का प्रतिशत तीसरे चरण में भी तुलनात्मक रूप से कम रहा। चुनाव आयोग शाम को जारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मतदान से पूर्व उप मु.मंत्री शिवकुमार ने 25,000 पैन ड्राइव वितरित की थीं'

पूर्व मु.मंत्री कुमारास्वामी ने डी.के. शिवकुमार पर जनता दल (एस) को जड़ से नष्ट करने का आरोप लगाया

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 मई। कर्नाटक की शेष 14 लोकसभा सीटों के लिए जब वोटिंग चल रही थी तब भी वोटर्स के जेहन में उन घिनौने वीडियोज़ की यादें ताजा थी। पूर्व प्रधानमंत्री एवं जद (एस) के पितृ पुरुष एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रैवन्ना द्वारा अनेकों महिलाओं के साथ किए गए यौन उत्पीड़न के दृश्य थे। हालांकि, जद (एस) के नेताओं ने यह जोर देकर कहा कि, चुनावों के जारी रहने के दौरान कांग्रेस ने उनकी पार्टी को जानबूझकर बदनाम और समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है।

इन घटिया वीडियोज़ के सामने आने के बाद जद (एस) और उसके सहयोगी दल स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर भी वे प्रज्वल रैवन्ना की यौन उत्पीड़न पीड़िताओं को दर्शाने वाले वीडियोज़ को रिलीज़ करने के समय को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं। एक केस तो ऐसा है जिसमें प्रज्वल रैवन्ना के पिता एच.डी. रैवन्ना पर भी यौन शोषण का आरोप है। जद (एस) और उसके सहयोगी दल वीडियोज़ रिलीज़ किए जाने के समय पर तो उंगुली उठा रहे हैं, लेकिन सीरियल रेप के इस वास्तविक स्कैण्डल पर चुप्पी साधे हुए हैं।

मंगलवार को जब कर्नाटक की 14 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग चल रही थी, तब इस घिनौने काण्ड का साया मतदान पर भी नज़र आ रहा था, क्योंकि महिलाओं ने अधिक संख्या में वोट डाले। राजनीतिक विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि महिलाओं की तादाद अधिक होने के कारण विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं से किए गए वादे हो सकते हैं, जैसे कि बस में मुफ्त यात्रा और समाज के गरीब तबके की महिलाओं को प्रत्येक 2,000 रूपये का भुगतान, हालांकि वोटिंग प्रक्रिया को कवर कर रहे कुछ कन्नड़ चैनल्स ने भी कहा कि महिलाओं के अधिक संख्या में वोट करने का कारण सीरियल रेप भी हो सकता है।

- **पर, कुमारास्वामी उन सैक्स वीडियो के 'कंटैन्ट'' के बारे में कुछ नहीं बोले। जैसा कि, विदित है, पूर्व प्र.मंत्री देवेगौड़ा के पौत्र प्रज्वल रैवन्ना पर आरोप है कि, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि दुष्कर्म करके वीडियो बनायी तथा ये वीडियो पैन ड्राइव में मौजूद हैं, जो मतदान से पूर्व कर्नाटक में बहुत भारी संख्या में वितरित की गयीं।**
- **यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि, इस बार भारी संख्या में महिलाएं मतदान के लिये आगे आयी हैं। इसका एक बड़ा कारण है, सभी महिलाओं को विधानसभा चुनाव के दौरान ''फ्री'' बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना व प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार की महिला को दो हजार रूपये देने का वादा।**
- **पर, सैक्स वीडियो ने यह निर्धारित किया कि, महिलाएं मतदान किस के पक्ष में करेंगी।**

पूर्व मुख्यमंत्री एवं जद (एस) के सीनियर नेता ने चुनावों से पूर्व इन वीडियोज़ के प्रसारित होने को लेकर उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर षड्यंत्र रचने का सीधा आरोप लगाया।

सांसद प्रज्वल रैवन्ना एवं हासन से जद (एस) प्रत्याशी प्रज्वल रैवन्ना और उनके पिता एच.डी. रैवन्ना के खिलाफ एक घरेलू नौकरानी के यौन शोषण को लेकर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। प्रज्वल के विरूद्ध बलात्कार के केस भी दर्ज किए गए हैं। बताया जाता है कि, वह बचकर जर्मनी भाग गया है। उसके पिता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरीश चौधरी को पंजाब की जिम्मेदारी

जयपुर, 7 मई (का.प्र.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बायतू विधायक हरीश चौधरी को लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में विशेष जिम्मेदारी देते हुए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हरीश चौधरी पंजाबी के प्रभारी के तौर पर दो बार काम कर चुके हैं और राजस्थान के दूसरे नेता हैं, जिन्हें लोकसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है। गत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी।

- **सचिन पायलट और सी.पी. जोशी को दिल्ली की एक-एक लोकसभा सीट दी।**

इसी के साथ सचिन पायलट को दिल्ली उत्तर पूर्व लोकसभा सीट और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सी.पी. जोशी को चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक बनाया गया है।